प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31/2023 दिनांक 9/2/2023
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– –
   (3) अधिनियम ....–...................... धाराये :–..............–...............
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 159 समय 2:00 PM,
   (ब) अपराध के घटने का दिन :–**बुधवार , दिनांक 08.02.2023 समय 11.01 ए.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **06.02.2023 समय 4.00 पी.एम.,**
4. सूचना की किस्म :– **हस्तलिखित रिपोर्ट,**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–**चौकी से बदिश दक्षिण पश्चिम बफासला करीब 120 कि.मी. दूर।**
   (ब) पता :– **सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर।**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जामताराम. उम्र 31 वर्ष जाति विश्नोई पैशा खेती निवासी कुडा पोस्ट सरनाउ जिला जालोर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :–
   श्री कुमार विनोद डायालाल पुत्र श्री डायालाल उम्र 27जाति निवासी दांता तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ट अभियंता –प्रथम , कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य **ट्रेप राशि 4,000/–(चार हजार)रू0,**
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें ,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक(।ब्ठ) जालोर(राज)

विषयः– रिष्वत लेते हुए को रंगो हाथों पकडवाने बाबत।

महोदयजी,

निवेदन मुझ प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र जामताराम जाति विश्नोई उम्र 31 वर्ष निवासी कूडा जिला जालोर मो0 9982521308 का इस प्रकार है कि मेरा फार्म कूडा भूतवाण रास्ते के बीच स्थित है जहां मेरे माता जी के नाम चतरू देवी के नाम से कृषि कनेक्शन लिया हूए है जिस पर तीन चार दिन पूर्व मेरा विघुत ट्रांसफार्मर जल गया जिसको बदलवाने क लिऐ दिनांक 06/02/2023 को GSS सांकड गया जला हूए ट्रांसफार्मर जमा करवाया वह नया टांसर दिलवाने बाबत JEN विनोद कुमार से बातचीत की तो उन्होने कहा कि नया ट्रांसफार्मर देने के लिए तुमको कुछ खर्चा करना पडेगा जिस पर मैने पूछा उन्होने बताया दस हजार (10000) रूपये लेकर आ जाओ और नया ट्रांसफार्मर दे दूंगा जिस पर मैं JEN साहब द्वारा मैने वैध कार्य के लिये दस हजार (10000) रूपये की रिश्वत की मांग की जो मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं JEN विनोद कुमार को मे रिश्वत लेते हूए को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरे व JEN विनोद के आपस में मेरे कोई रंजिश नहीं है न ही कोई पुराना लेनेदेन बाकी है रिश्वत लेते हूए को रंगो हाथों पकडवाना चाहता हूं अत कानूनी कार्यवाही करावें ।

एसडी/
भवदीय
ओमप्रकाश पुत्र जामताराम
गांव कुडा पोस्ट सरनाउ
9982521308

दिनांक 06.02.2023

सीआई दीनदयाल जी कानूनी कार्यवाही करें एसडी /– डॉ महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , जालोर दिनांक 06.02.2023	एसडी /– श्री दीनदयाल निरीक्षक पुलिस दिनांक 06.02.2023	एसडी /– श्री दिनेश कुमार(स्वतंत्र गवाह) कनिष्ट अभियंता दिनांक 07.02.2023	एसडी /– श्री रमेश कुमार कनिष्ट सहायक (स्वतंत्र गवाह) दिनांक 07.02.2023

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 06.02.2023 वक्त 4.00 पी.एम.</u>

निवेदन है कि परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जामताराम. उम्र 31 वर्ष जाति विश्नोई निवासी कुडा पोस्ट सरनाउ जिला जालोर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति एंव अपनी माता चतरू देवी के नाम विधुत बिल संख्या 3303430519947 की स्वप्रमाणित छायाप्रति मन् डॉ महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जालोर के समक्ष कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर इस आशय की प्रस्तुत की कि निवेदन मुझ प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र जामताराम जाति विश्नोई उम्र 31 वर्ष निवासी कूडा जिला जालोर मो0 9982521308 का इस प्रकार है कि मेरा फार्म कूडा भूतवाण रास्ते के बीच स्थित है जहां मेरे माता जी के नाम चतरू देवी के नाम से कृषि कनेक्शन लिया हूए है जिस पर तीन चार दिन पूर्व मेरा विघुत ट्रांसफार्मर जल गया जिसको बदलवाने क लिऐ दिनांक 06/02/2023 को GSS सांकड गया जला हूए ट्रांसफार्मर जमा करवाया वह नया टांसर दिलवाने बाबत JEN विनोद कुमार से बातचीत की तो उन्होने कहा कि नया ट्रांसफार्मर देने के लिए तुमको कुछ खर्चा करना पडेगा जिस पर मैने पूछा उन्होने बताया दस हजार (10000) रूपये लेकर आ जाओ और नया ट्रांसफार्मर दे दूंगा जिस पर मैं JEN साहब द्वारा मैने वैध कार्य के लिये दस हजार (10000) रूपये की रिश्वत की मांग की जो मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं JEN विनोद कुमार को मे रिश्वत लेते हूए को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरे व JEN विनोद के आपस में मेरे कोई रंजिश नहीं है न ही कोई पुराना लेनेदेन बाकी है रिश्वत लेते हूए को रंगो हाथों पकडवाना चाहता हूं अत कानूनी कार्यवाही करावें । रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य मे परिवादी श्री ओमप्रकाश ने उक्त रिपोर्ट स्वंय द्वारा अपनी हस्तलिपि में लिखना एंव रिपोर्ट पर लिखे समस्त तथ्य सही होना एंव छायाप्रति पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। जिस पर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री दीनदयाल निरीक्षक पुलिस को तलब किया जाकर परिवादी श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय स्वप्रमाणित छायाप्रति सुपूर्द कर परिवादी श्री ओमप्रकाश से परस्पर परिचय करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश/निर्देश प्रदान किए गये। मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस उपस्थित

परिवादी श्री ओमप्रकाश को हमरा लेकर मन् निरीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष में लेकर उपस्थित आये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में परिवादी से विस्तृत पूछताछ की गई। परिवादी ने रिपोर्ट स्वंय के हस्तलिपि लिखी होना ,रिपोर्ट पर स्वंय के हस्ताक्षर होना एवं स्वप्रमाणित आधारकार्ड एवं अपनी माता चतरूदेवी के नाम विधुत बिल संख्या 3303430519947 की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत करना एवं रिपोर्ट पर लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपी श्री विनोद कुमार सर्तक है मैं कल सुबह उनके घर पर रिश्वत राशि के संबध में वार्ता करने जाउंगा तो वो मुझसे बात कर लेंगे। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री कालूराम कानि0 नं0 477 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री ओमप्रकाश का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नंबर का आदान प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर श्री कालूराम कानि.नं.477 एंव परिवादी श्री ओमप्रकाश को डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑपरेट करने की समझाईश कर डिजीटल टेप रिकार्डर अपनी अभिरक्षा में रखा। तत्पश्चात श्री कालूराम कानि. 477 को कल दिनांक 07.02.2023 को प्रातः जल्दी परिवादी श्री ओमप्रकाश से संपर्क कर आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ट अभियंता से रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करने के निर्देश प्रदान किये गये। परिवादी श्री ओमप्रकाश को आवश्यक हिदायत की जाकर अपनी सकूनत पर रवाना किया गया।

निवेदन है कि दिनांक 07.02.2023 को श्री कालूराम कानि. 477 को कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर सूपर्द कर परिवादी श्री ओमप्रकाश से संपर्क कर आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ट अभियंता से रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन वार्तालाप करने हेतु ग्राम दांता की तरफ रवाना किया गया। श्री कालूराम कानि. 477 मय डिजीटल टेप रिकार्डर हमरा परिवादी श्री ओमप्रकाश के कार्यालय हाजा पर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये । श्री कालूराम कानि. 477 ने डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में मन् निरीक्षक पुलिस को सुपर्द कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार कार्यालय हाजा से रवाना होकर परिवादी से संपर्क कर बावलीया स्टेशन पर 8.45 ए.एम. पहुंचा । परिवादी ने बताया कि श्री विनोद कुमार ग्राम दांता में पुरोहितों का वास में अपने घर पर उपस्थित मिलेंगे। जिस पर आरोपी के घर के नजदीक जाकर परिवादी श्री ओमप्रकाश को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑन कर सूपर्द किया जाकर आरोपी से रिश्वती राशि का गोपनीय मांग सत्यापन वार्तालाप करवाने हेतु रवाना किया गया। मैं अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादी के आने के इंतजार में व्यस्त रहा। कुछ समय के बाद परिवादी श्री ओमप्रकाश रवाना होकर मन् कानि0 के पास उपस्थित आकर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपूर्द किया जिसका स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा । परिवादी श्री ओमप्रकाश ने बताया कि आरोपी श्री विनोद कुमार अपने घर पर उपस्थित मिले मैने मेरे काम के संबध में वार्ता की तो श्री विनोद कुमार द्वारा मेरे जायज काम के बदले 5000 (पांच हजार)रूपये की रिश्वत की मांग की गई लेकिन मेरे द्वारा निवेदन करने पर 4000 (चार हजार) रूपये रिश्वत में देना तय हुआ। तत्पश्चात मैं वहां से रवाना होकर आपके पास उपस्थित आया। तत्पश्चात मन् कानि. मय कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर हमरा परिवादी श्री ओमप्रकाश को लेकर दांता से रवानाशुदा कार्यालय हाजा पर श्रीमान के समक्ष उपस्थित आये। उपस्थित परिवादी श्री ओमप्रकाश ने श्री कालूराम कानि.नं.477 के उपरोक्त कथनों की ताईद की।तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर सुना तो कानि0 श्री कालूराम एंव परिवादी श्री ओमप्रकाश के कथनो की ताईद होते हुए रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर स्वंय की अभिरक्षा में लिया गया। जिस पर अग्रिम ट्रेप का आयोजन कल दिनांक 08.02.2023 को करने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री ओमप्रकाश में रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000 रूपये साथ में लेकर आना बताया। परिवादी श्री ओमप्रकाश को रात्रि विश्राम हेतु कार्यालय हाजा पर रहने हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 194 दिनांक 07.02.2023 के अधिशाषी अभियंता ,सिंचाई विभाग जालोर जिला जालोर के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से दो सरकारी स्वतंत्र गवाहान को तलब कर लाने हेतु श्री आदूराम कानि. नं. 142 को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा श्री आदूराम कानि. 142 मय दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये । श्री आदूराम कानि. ने कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन ,खण्ड जालोर के पत्रांक 5762 दिनांक 07.02.2023 मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया । दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस का परिचय देकर उनका परिचय प्राप्त किया गया तो उन्होनें अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री थानाराम उम्र 28 वर्ष जाति कलबी चौधरी निवासी नया रामा पुलिस थाना भाद्राजून तहसील आहोर जिला जालोर हाल कनिष्ट अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता ,जल संसाधन उपखण्ड जालोर जिला जालोर, मोबाईल नं0 9571590196 तथा श्री रमेश कुमार शर्मा पुत्र छतुमल शर्मा उम्र 31 वर्ष, जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नंबर 12 हमीरपुरा बाडमेर पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर हाल कनिष्ट सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता,जल संसाधन खण्ड जालोर जिला जालोर, मोबाईल नं0 9413745050 होना बताया। दोनो गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री ओमप्रकाश से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया एवं आज दिनांक 07.02.2023 को परिवादी श्री ओमप्रकाश एवं आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता के मध्य हुई रूबरू मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंशों को

डिजीटल टेप रिकार्डर चालू कर सुनाया गया। गवाहान ने भी परिवादी से उक्त रिपोर्ट के तथ्यो के सम्बंध में विस्तृत वार्ता कर पूर्ण तस्सली की। तत्पश्चात गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की सहमति चाहने पर सहमति प्रदान की। परिवादी श्री ओमप्रकाश एवं आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता के मध्य दिनांक 07.02.2023 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी एंव स्वंय के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप में सेव कर के दो पैन ड्राईव तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों पैन ड्राईव को मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखा। गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता को कल दिनांक 08.02.2023 को प्रातः 6.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर रूकसत किया गया।

निवेदन है कि दिनांक 08.02.2023 को परिवादी श्री ओमप्रकाश मय ब्यूरो जाब्ता जो कार्यालय हाजा में उपस्थित है तथा पूर्व में पाबंधशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार एवं श्री रमेश कुमार शर्मा कार्यालय हाजा में उपस्थित आये । अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारंभ की गई। उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जामताराम. उम्र 31 वर्ष जाति विश्नोई निवासी कुडा पोस्ट सरनाउ जिला जालोर से आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ट अभियंता जिला जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,000(चार हजार) रू0 प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री ओमप्रकाश ने आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ट अभियंता. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के आठ नोट, कुल राशि 4,000(चार हजार) रू0 मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर निम्नानुसार है :

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नंबरी	9	wc	981656
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नंबरी	6	NH	631045
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नंबरी	8	PK	481693
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नंबरी	9	DN	753330
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नंबरी	8	TM	027908
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नंबरी	0	GB	198539
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नंबरी	3	GL	975799
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नंबरी	9	GC	930271

मालखाना प्रभारी श्री मोहनलाल हैड कानि0 नं0 93 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री आदूराम कानि. 142 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री ओमप्रकाश की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश कुमार कनिष्ट अभियंता से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी को स्वंय का मोबाईल अपने पास रहने दिया गया। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 4,000 (चार हजार) रूपयें के नोट श्री आदूराम कानि. नंबर 142 से ही परिवादी के पहने हुये शर्ट के बांयी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब मे रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री विनोद कुमार द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में श्री विनोद कुमार से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। श्री विनोद कुमार द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखते है अथवा कहाँ छुपाते हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई श्री विनोद कुमार द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री आदूराम कानि. 142 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर घुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना

स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी श्री विनोद कुमार द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी श्री विनोद कुमार के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुननें का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री आदूराम कानि. नं. 142 को ट्रेप कार्यवाही से पृथक रखने का निर्णय लिया गया। फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर संबधिगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियंता व श्री रमेश कुमार शर्मा , कनिष्ठ सहायक ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि. नं.93 ,श्री विक्रमसिंह कानि. 556 , श्री कालूराम कानि.477 , श्री गोपाल कुमार कानि. 537 , श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 मय परिवादी श्री ओमप्रकाश मय कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर ,कार्यालय लैपटॉप ,प्रिटंर,ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री इत्यादि मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री जयराम कानि. नं. 83 व निजी वाहन के जालोर से सांकड की तरफ रवाना हुए। कार्यालय निगरानी डियुटी हेतु श्री आदूराम कानि. नं. 142 को पीछे छोडा गया। उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान के ग्राम सांकड में कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर के पास पहुंचा । परिवादी श्री ओमप्रकाश को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय हाजा का डिजीटल टेप रिकार्डर श्री कालूराम कानि. नंबर 477 से चालु करवाकर सुपूर्द किया जाकर रिश्वती राशि लेनदेन करने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर की तरफ रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त हुए। मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जामताराम, उम्र 31 वर्ष जाति विश्नोई निवासी कुडा पोस्ट सरनाउ जिला जालोर ने वक्त करीब 11. 01 ए.एम. पर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर के कार्यालय कक्ष के बरामदे में आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फेरकर रिश्वत राशि लेन–देन होने की सूचना दी, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा समस्त ट्रेप दल के सदस्यों को अवगत करवाते हुए मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के शीघ्र ही रवाना होकर कार्यालय सहायक अभियंता जोधुपर डिस्कॉम सांकड के बरामदे में खडे परिवादी के पास पहुंचे परिवादी श्री ओमप्रकाश से पूर्व में सूपुर्दशुदा डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे लिया। परिवादी श्री ओमप्रकाश ने बताया कि उक्त कार्यालय के राजस्व शाखा में अपनी टेबल कुर्सी पर बैठे श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता ने मेरे से मेरी माताजी श्रीमति चतरू देवी के नाम से जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में अभी–अभी 4000 रू. अक्षरे चार हजार रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट के आगे की बायीं जेब में रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के परिवादी श्री ओमप्रकाश को हमरा लेकर कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड के राजस्व शाखा कार्यालय कक्ष में पहुंचे उक्त राजस्व शाखा में बायीं तरफ टेबल कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता है जिन्होंने मेरे से मेरी माताजी श्रीमति चतरू देवी के नाम से जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में अभी--अभी 4000 रू. अक्षरे चार हजार रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट के आगे की बायीं जेब में रखे है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना तथा गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता का परिचय देकर परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम विनोद कुमार पुत्र श्री डायालाल जाति पुरोहित निवासी दांता तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ट अभियंता –प्रथम , कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर होना बताया । जिस पर आरोपी श्री विनोद कुमार को परिवादी श्री ओमप्रकाश की तरफ ईशारा कर पहचानने तथा श्री ओमप्रकाश से अभी अभी किसी प्रकार की राशि प्राप्त करने बाबत पूछा गया तो श्री कुमार विनोद डायालाल ने बताया कि श्री ओमप्रकाश को मैं पहचानता हूं इनके माताजी श्रीमति चतरूदेवी के नाम से ट्रांसफार्मर जल जाने से ट्रांसफार्मर बदलने हेतु इस कार्यालय में आया था। श्री ओमप्रकाश ने अपनी इच्छा से मुझे 4000 रूपये दिये है जिनको मैने प्राप्त कर अपने पहने हुई पेंट के आगे की बायीं जेब में रखे है जो अभी भी मेरे जेब में है साहब गलती हो गई ,मेरी नई नई नौकरी है आगे से ऐसी गलती का मौका दुबारा नहीं दुंगा ,इस बार मुझे माफ कर दो। उपस्थित परिवादी श्री ओमप्रकाश ने स्वैच्छा से बताया कि मेरे माताजी श्रीमति चतरूदेवी के नाम से कृषि कुंए पर ट्रांसफार्मर जलने से मैनें कृषि विधुत बिल की प्रति कार्यालय सहायक

अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड में आकर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता को ट्रांसफार्मर बदलने हेतु दी थी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता ने ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में मेरे से दस हजार रूपये रिश्वत की मांग की । दिनांक 07.02.2023 को रिश्वत राशि सत्यापन के दौरान मेरे से 5000 रूपये रिश्वत की मांग की थी जिस पर मेरे द्वारा निवेदन करने पर रिश्वत में 4000 रूपये लेना तय हुआ। जो आज दिनांक 08.02.2023 को श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता ने मेरे से मांग कर 4000 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने पहने हुए पेंट की आगे की बायीं जेब में रखे। जिस पर आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता को यथास्थिति में रहने की हिदायत दी जाकर दाहिना हाथ कलाईयों के उपर से कालूराम कानि. 477 एवं बायां हाथ कलाईयों के उपर से श्री गुलाबसिंह कानि. 140 से पकडवाये गये । उक्त कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड के परिसर में उपभोक्ताओं की काफी भीड होने से हाथ धोवन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को मध्यनजर रखते हुए नजदीकी पुलिस चौकी सांकड पहुंच आरोपी श्री विनोद कुमार के हाथ धोवन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया । तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता एवं परिवादी तथा दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विनोद कुमार को यथास्थिति में सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाया जाकर मय सरकारी वाहन बोलेरो व निजी वाहन से रवाना होकर पुलिस चौकी सांकड पहुंचे। पुलिस चौकी सांकड के श्री कालूराम कानि. नंबर 1038 से सहमति प्राप्त कर पुलिस चौकी का एक कार्यालय कक्ष खुलवाया जाकर हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित गवाहान तथा परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के ट्रेप बॉक्स में साथ लाये कांच के दो गिलासों में साफ पीने का पानी भरवाया गया तथा प्रत्येक गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया। तत्पश्चात एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री विनोद कुमार के दाहिने हाथ की अंगूलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त गिलास के धोवन का रंग परिवर्तित होकर मठमैला हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो अलग अलग शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिल्ड मोहर कर धोवन मार्क आर.एच.-1 एवं आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार कांच के दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री विनोद कुमार के बायें हाथ की अंगूलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त गिलास के धोवन का रंग परिवर्तित होकर मठमैला हो गया। उक्त धोवन को कांच की दो अलग अलग शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिल्ड मोहर कर धोवन मार्क एल.एच.-1 एवं एल.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियंता से लिरवाई गई तो आरोपी श्री विनोद कुमार के वक्त वाका पहनी हुई पेंट की आगे बायीं जेब में नोट पाये गये उक्त नोटों को जेब से बाहर निकलवाये जाकर गवाह श्री दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियंता से नोटों को गिनवाये गये तो पांच सौ-पांच सौ रूपये के आठ नोट कुल 4000 रूपये होना पाया गया।उपस्थित गवाह श्री रमेश कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक को पूर्व में तैयारशुदा फर्दपेशकशी सूपूर्द कर नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया तो बरामदा नोटों के नंबर फर्द पेशकशी के मुताबिक हूबहू मिलान होना पाया गया। उपरोक्त बरामदा रिश्वती राशि 4000/- रूपये को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाया जाकर थैली को शिल्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता को पहनने हेतु लोअर उपलब्ध करवाया जाकर वक्त वाका पहनी हुई पेंट को जिसकी आगे की बायीं जेब में रिश्वती राशि 4000 रूपये बरामद हुई उक्त पेंट को उतरवाया गया। एक अन्य कांच की साफ गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। तत्पश्चात आरोपी श्री विनोद कुमार के वक्तवाका पहनीं हुई पेंट की आगे की बायीं जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन गिलास के घोल में तीन चार बार डुबोकर धुलवाया जाने पर धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी आया । उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिल्ड मोहर किया जाकर धोवन मार्क पी.एल.-1 एंव पी.एल.-2 अंकित किया गया। आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता के वक्त वाका पहनी हुई पेंट को धूप एवं हवा में सुखाकर उक्त पेन्ट के जेब को उल्टवाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त पेंट को सफेंद कपडे की थैली में रखकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिल्ड मोहर किया जाकर मार्क पी अंकित कर बतौर वजह सबूत तहवील एसीबी लिया गया । आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता को परिवादी श्री ओमप्रकाश की माताजी श्री चतरूदेवी के नाम ट्रांसफार्मर बदलने से संबधित दस्तावेज के बारे में पूछा गया तो उक्त दस्तावेज कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर में होना बताया उक्त दस्तावेजात प्राप्त करने हेतु सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर को तलब कर निर्देशित किया जाकर पृथक से जरिये फर्द प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। दौराने

कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस की अभिरक्षा में कार्यालय हाजा के डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वीच ऑन कर सुना गया तो दौराने रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप रिकार्ड होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही फर्द बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वक्त 1.00 पी.एम. पर सम्पन्न हुई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान स्वतंत्र गवाहान ,ब्यूरो जाब्ता ,परिवादी श्री ओमप्रकाश मय दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर ,मालखाना आईटम क्रमशः आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता के हाथों के धोवन की शिल्डमोहर शिशियां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल. एच.–1,एल.एच.–2, आरोपी के वक्त वाका पहनी पेंट के आगे बायीं जेब का धोवन मार्क पी.एल.–1 ,पी.एल–2 एवं रिश्वती राशि बरामद पेंट शिल्ड मोहर मार्क पी , बरामदा रिश्वती राशि 4000 रूपये शिल्ड मोहर मय कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर ,कार्यालय लैपटॉप ,प्रिटंर,ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री इत्यादि मय सरकारी वाहन बोलेरो एवं निजी वाहन के पुलिस चौकी सांकड से कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर के लिये रवाना हुए। उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान के कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर पहुंचा। रूबरू मौतबिरान श्री मुकेश कुमार सहायक अभियंता (पवस)जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर ने परिवादी श्री ओमप्रकाश की माताजी श्रीमति चतरूदेवी पत्नी जामताराम मोबाईल नंबर 9001472681 स्थान कुडा खाता संख्या 1804/0009 टी/एफ एसआर नंबर 12021 बर्नट (इन केवीए) 25 एसएल (इन एचपी)15 ट्रांसफेलियर रिर्पोट डी –2954 दिनांक 07.02.2023 मय दस्तावेज कुल वर्क–05 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जिसे बाद अवलोकन किया गया। उक्त प्रमाणित प्रति वर्क–5 पर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो ली गई। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। रूबरू स्वतंत्र गवाहान के परिवादी की निशानदेही पर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। श्री मुकेश कुमार सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर को आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु तहरीर देकर सेवा विवरण उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया । आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता कें अल्प सेवाकाल एवं दांता स्थित पैतृक मकान में निवास करना एवं जीवनस्तर सामान्य पाये जाने पर खाना तलाशी नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान स्वतंत्र गवाहान ,ब्यूरो जाब्ता ,परिवादी श्री ओमप्रकाश मय दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर ,मालखाना आईटम क्रमशः आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता के हाथों के धोवन की शिल्डमोहर शिशियां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1,एल.एच.–2, आरोपी के वक्त वाका पहनी पेंट के आगे बायीं जेब का धोवन मार्क पी.एल.–1 ,पी.एल–2 एवं रिश्वती राशि बरामद पेंट शिल्ड मोहर मार्क पी , बरामदा रिश्वती राशि 4000 रूपये शिल्ड मोहर मय कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर ,कार्यालय लैपटॉप ,प्रिटंर,ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री इत्यादि मय सरकारी वाहन बोलेरो एवं निजी वाहन के कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर से ब्यूरो चौकी जालोर के लिये रवाना हुए। उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान स्वतंत्र गवाहान ,ब्यूरो जाब्ता ,परिवादी श्री ओमप्रकाश मय दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर ,मालखाना आईटम क्रमशः आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता के हाथों के धोवन की शिल्डमोहर शिशियां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1,एल.एच. –2, आरोपी के वक्त वाका पहनी पेंट के आगे बायीं जेब का धोवन मार्क पी.एल.–1 ,पी.एल–2 एवं रिश्वती राशि बरामद पेंट शिल्ड मोहर मार्क पी , बरामदा रिश्वती राशि 4000 रूपये शिल्ड मोहर मय कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर ,कार्यालय लैपटॉप ,प्रिटंर,ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक सामग्री इत्यादि मय सरकारी वाहन बोलेरो एवं निजी वाहन के ब्यूरो चौकी जालोर पहुंचे। प्रकरण हाजा में परिवादी श्री ओमप्रकाश एवं आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता के मध्य दिनांक 08.02.2023 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेनदेन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी एंव स्वंय के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप में सेव कर के दो पैन ड्राईव तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों पैन ड्राईव को मन् दीनदयाल निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखा। कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जाधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सांकड जिला जालोर के पत्रांक 2957 दिनांक 08.02.2023 आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम सांकड जिला जालोर का सेवा विवरण प्राप्त हुआ

जिसका अवलोकन करने पर आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल पुत्र श्री डायालाल निवासी दांता तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ट अभियंता –प्रथम , कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर होना अंकित किया गया है सेवा विवरण बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण हाजा में आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल पुत्र श्री डायालाल निवासी दांता तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ट अभियंता –प्रथम , कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर को उनके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, पीसी एक्ट (संशोधन) अधिनियम 2018 से नियमानुसार संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर आगाह कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश कुमार कनिष्ट अभियंता से लिखवाई गई तो अलावा पार्चेजात के अलावा कोई आपतिनजक राशि, वस्तु एवं दस्तावेज नहीं पाये गये एवं न हीं कब्जा ब्यूरो ली गई। आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री डायालाल मोबाईल नं. 8140929297 को दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुर्तिब की जाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री ओमप्रकाश एवं स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार कनिष्ठ अभियंता एवं श्री रमेश कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक को बाद राजकार्य से फारिक कर रूकसत किया गया। प्रकरण से संबधित फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम आरोपी श्री विनोद कुमार कनिष्ठ अभियंता के हाथों के धोवन की शिल्डमोहर शिशियां मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1,एल.एच.–2, आरोपी के वक्त वाका पहनी पेंट के आगे बायीं जेब का धोवन मार्क पी.एल.–1 ,पी.एल–2 एवं रिश्वती राशि बरामद पेंट शिल्ड मोहर मार्क पी , बरामदा रिश्वती राशि 4000 रूपये शिल्ड मोहर तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की मूल पैन ड्राईव शिल्डबंद व एक डब पैन ड्राईव खुली हालात में तथा रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता की मूल पैन ड्राईव शिल्डबंद एंव एक डब पैन ड्राईव खुली हालात में इत्यादि इत्यादि श्री मोहनलाल हैड कानि. नं 93 को सुपूर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया।मन् निरीक्षक पुलिस दीनदयाल हमरा जाब्ता श्री कालूराम कानि. 477 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री जयराम कानि. 83 के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल कनिष्ठ अभियंता का राजकीय चिकित्सालय जालोर में मेडीकल परीक्षण करवाने एवं ब्यूरो चौकी पर हवालात की व्यवस्था नहीं होने से सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी को जमा हवालात करने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जालोर में जमा करवाने हेतु पृथक–पृथक तहरीर जारी कर राजकीय चिकित्सालय जालोर रवाना हुआ। उपरोक्त फिकरा का मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता मय सरकारी वाहन के आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल का राजकीय चिकित्सालय जालोर में मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर एवं आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली जालोर में जमा हवालत करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया । आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल की मेडीकल परीक्षण रिर्पोट एवं पुलिस थाना कोतवाली में जमा प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गई।

निवेदन है कि दिनांक 09.02.2023 को मन् निरीक्षक पुलिस दीनदयाल हमरा जाब्ता श्री कालूराम कानि. 477 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री जयराम कानि. 83 के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल कनिष्ठ अभियंता को पुलिस थाना कोतवाली जालोर से लाने हेतु कार्यालय हाजा से रवाना हुऐ।मन् निरीक्षक पुलिस दीनदयाल हमरा जाब्ता श्री कालूराम कानि. 477 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय श्री जयराम कानि. 83 के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल कनिष्ठ अभियंता को पुलिस थाना कोतवाली जालोर को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री जामताराम. उम्र 31 वर्ष जाति विश्नोई पैशा खेती निवासी कुडा पोस्ट सरनाउ जिला जालोर के माताजी श्रीमति चतरूदेवी के नाम से ट्रांसफार्मर जल जाने पर ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल पुत्र श्री डायालाल उम्र 27 वर्ष जाति पुरोहित निवासी दांता तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ट अभियंता –प्रथम , कार्यालय सहायक अभियंता (पवस), जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर द्वारा परिवादी के वैध कार्य के बदले रिश्वत राशि की मांग करना वक्त मांग सत्यापन 4000 रूपये रिश्वत राशि देना तय होना दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल कनिष्ट अभियंता द्वारा परिवादी श्री ओमप्रकाश से रिश्वत राशि 4000 रूपये प्राप्त करना एवं रिश्वत राशि आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल के वक्त वाका पहनी हुई पेंट की आगे बायीं जेब से बरामद होना पाया गया । दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी के दोनों हाथों का धोवन का रंग मटमैला एवं वक्त वाका पहनी पेंट के आगे बायीं जेब का धोवन हल्का गुलाबी होना पाया गया । अतः आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल पुत्र श्री डायालाल उम्र 27 वर्ष जाति पुरोहित निवासी दांता तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ट अभियंता –प्रथम , कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर .के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया बखूबी प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री कुमार विनोद डायालाल पुत्र श्री डायालाल उम्र 27 वर्ष जाति पुरोहित निवासी दांता तहसील सांचौर जिला जालोर हाल कनिष्ट अभियंता –प्रथम , कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांकड तहसील सांचौर जिला जालोर **के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।**

भवदीय

9.2

(दीनदयाल)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री कुमार विनोद डायालाल पुत्र श्री डायालाल, कनिष्ठ अभियंता-प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जोधपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सांकड, तहसील सांचौर, जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 31/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 237-40 दिनांक 9.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

9.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।